

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

एम.ए.सी.पी. संख्या ४२८/२०१८,

वीरेन्द्र कुमार वर्मा उम्र करीब ३३ वर्ष पुत्र श्री मोहन लाल वर्मा निवासी ५१९ शिवाजी नगर थाना नवाबाद जिला झाँसी

-----याची

प्रति

१. श्रीमती आयशा बेगम पत्नी मोहम्मद आरिफ निवासी मोहबियापुरा पुलिया नं. ९ थाना प्रेमनगर जिला झाँसी

.....मालिक आपे नं. यूपी९३टी५१०८

२. मंजूर मोहम्मद पुत्र श्री महबूब निवासी मकान नं.३६ बाहर सैंयर गेट थाना नवाबाद, झाँसी जिला झाँसी

.....चालक आपे नं. यूपी९३टी५१०८

३. चोलामण्डलम एम.एस. जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि. शाहनजफ रोड, लखनऊ, उ.प्र.

.....बीमा कम्पनी आपे नं. यूपी९३टी५१०८

-----विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता- श्री इन्द्र पाल सिंह

विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के अधिवक्ता- श्री सुनील शुक्ला

१८.०३.२०२१

पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली आज २१बी समझौता-पत्र पर आदेश हेतु नियत है। प्रस्तुत याचिका याची वीरेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा विपक्षीगण के विरुद्ध कथित मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं को आई चोटों के कारण ₹१३,६०,००० प्रतिकर धनराशि मय ब्याज दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को २१बी समझौता-पत्र पर पूर्व नियत तिथि पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। याची व विपक्षी सं.३ बीमा कम्पनी के मध्य हुआ समझौता-पत्र २१बी उभय-पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति में सत्यापित किया गया है, जिसकी पुष्टि उभय पक्ष द्वारा की गई है। २१बी समझौता-पत्र के अनुसार विपक्षी सं.३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में ₹५०,००० याची को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। याची समझौता-पत्र २१बी में दर्शित कुल ₹५०,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं.३ बीमा कम्पनी याची को देने हेतु तैयार है। अतः याचिका समझौता-पत्र २१बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याची की याचिका समझौता-पत्र २१बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। समझौता-पत्र २१बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं.३ चोलामण्डलम एम.एस. जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याची को इस निर्णय/आदेश के दिनांक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि ₹५०,००० (पचास हजार) भुगतान करने हेतु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के सिंडीकेट बैंक शाखा, गोविन्द चौराहा झाँसी के खाता सं. ९२३५२०१०००८५६० आई.एफ.कोड सं. SYNB0009235 में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा यू.टी.आर. नम्बर/रिफरेंस नम्बर/ट्रांजैक्शन नम्बर की सूचना इस न्यायाधिकरण के कार्यालय भेजी जायेगी।

याची उक्त प्रतिकर की धनराशि अपने बैंक खाते में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से नगद प्राप्त कर सकेगा। तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)

पीठासीन अधिकारी

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी।